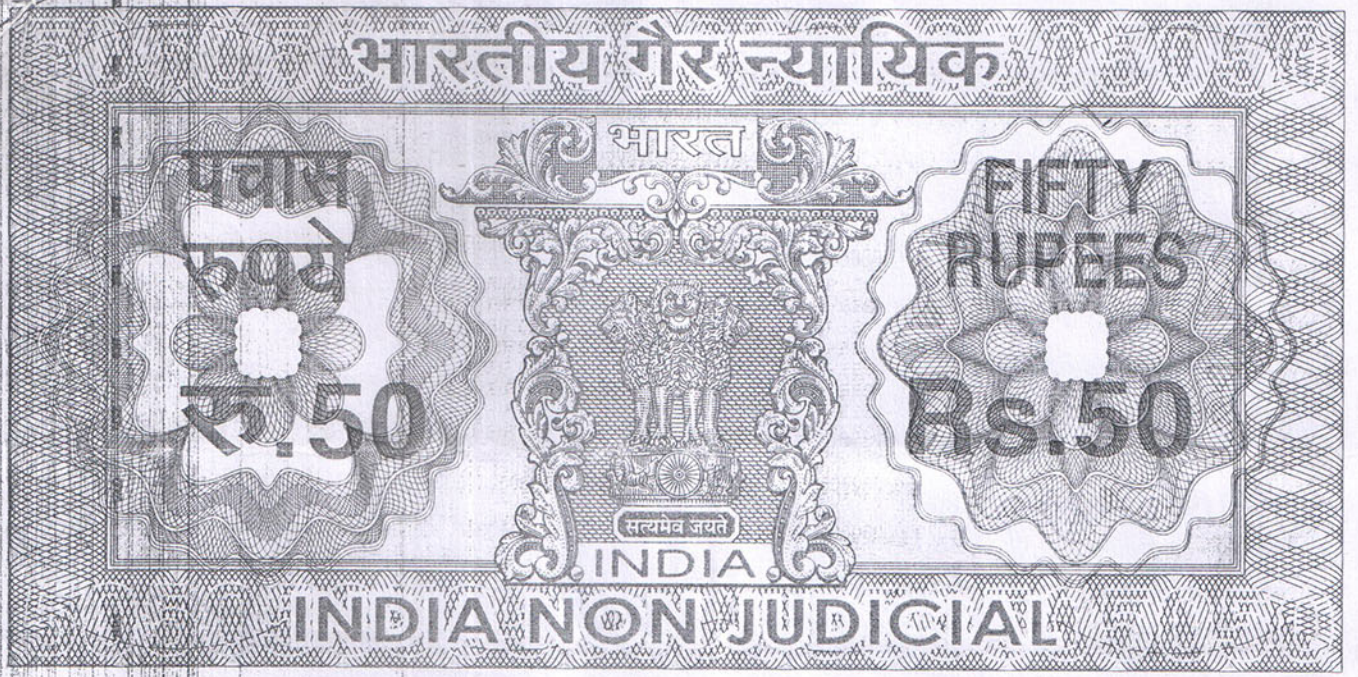

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH AN 621473

शिकायती पत्र

श्री मान रजिस्टार जनरल महोदय
उच्च न्यायालय जबलपुर,
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

बिषय :- माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेमजी (जो कि देश के 3 सबसे बड़े उद्योगपति हैं) से पैसें (करोड़ों में) ले कर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा आदेशित जनहित मामला क्र० WP-8239/2015, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड आर०पी० सिंह प्रथम श्रेणी देवसर द्वारा पंजीकृत मामला क्र० 621/16 और स्वयं माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 को दवाये जाने और मुझ फरियादी को मामला वापस लेने की धमकी दिए जाने बावत ।

मान्यवर

सबिनय नम्र निवेदन हैं कि उक्त निगरानी प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीस वैढन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के न्यायालय में बिचाराधिन है, मुझ परिवादी द्वारा प्रकरण निगरानी में दायर किया गया हैं, जिसमे मुझ फरियादी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर किया गया

18-05-17

था, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जनहित मामला क्र० WP-8239/2015 में सुनवाई करते हुए दिनांक 03/08/2015 को आदेशित किया गया था, कि मुझ फरियादी द्वारा निचली न्यायलय में एक अपराधिक मामला दर्ज कराई जाये, जिससे मुझ फरियादी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए, माननीय अधिनस्त न्यायलय में एक अपराधिक मामला दर्ज कराई थी, जिस पर माननीय अधिनस्त न्यायालय द्वारा अपराधिक मामला क्र० 621/16 में 2 आरोपी, सुरेश महतो और अलोक कुमार संधिल्या के खिलाफ धारा 120-बी०, 420, 465, 34- आई०पी०सी० के तहत दिनांक 05/05/2016 को मुक़दमा पंजीकृत कर लिया गया है, और शेष प्रत्यर्थी गण अज़ीम प्रेमजी मुख्य प्रबंधक विप्रो कम्पनी, मृदुल घोष, सौरभ आचार्या के विरुद्ध मुक़दमा पंजीबद्ध नहीं किया गया है, जिस पर मुझ फरियादी द्वारा माननीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायालय देवसर में एक निगरानी याचिका प्रस्तुत कि गई, यहाँ से प्रत्यर्थी गण के विरुद्ध दिनांक 08/08/16 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवसर द्वारा न्यायालय में पेश होने के लिए प्रत्यर्थीओं को नोटिस जारी किया गया है, और प्रत्यर्थी गण द्वारा माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुए है, प्रत्यर्थी गण के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अभी आज दिनांक **08/08/16, 15/09/16, 05/10/16, 24/10/16, 15/11/16, 15/12/16, 02/01/17, 03/03/17, 31/03/17, 31/03/16, 13/04/17, तक** कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है, और माननीय न्यायाधिश द्वारा बार-बार कहा जाता रहा कि माननीय न्यायालय द्वारा पुराने मामले को ही सुनवाई के लिए लिया जाता हैं, किन्तु मामला कब पुराना होता है ये नहीं बताया गया, मामले की अगली सुनवाई 24/06/17 को है, और न तो न्यायालय में उक्त निगरानी पंजीकृत किया गया है, न तो प्रत्यर्थी गण उपस्थिती नहीं हुए है, किन्तु न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी के अधिवक्ता दिलीप द्विवेदी को मात्र अधिवक्ता मेमोरेंडम पेश कर अधिवक्ता द्वारा (दिनांक 28/04/17 लगभग) नक़ल मांग ली गयी, जिस पर न्यायाधीश जी०एस० नेताम द्वारा नक़ल दि जा रही है, जिस पर मुझ निगरानीकर्ता को विधिक सेवा से प्राप्त अधिवक्ता ब्रिजेश चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 02/05/17 को माननीय अपर न्यायायल में आपत्ति दर्ज किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी के अधिवक्ता दिलीप द्विवेदी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायायल में तर्क के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ गया, जिस पर माननीय न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा मुझ निगरानीकर्ता को धमकी देते हुए कहा गया कि मुझ निगरानीकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी अजीम प्रेम जी के खिलाफ झूठा मुक़दमा दर्ज किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी द्वारा धारा 193 के तहत मुझ निगरानीकर्ता के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मुक़दमा दर्ज किया जायेगा, जिससे मुझ निगरानीकर्ता को संशय है कि न्यायाधीश प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी जो कि देश के 3 सबसे बड़े उद्योगपति है, के हाथो बिक गए है, और न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी से करोड़ों में पैसे ले कर मामला को दवाने व मुझ फरियादी को मामला वापस लेने के लिए धमकिया देने की कोशिश किया गया हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी से करोड़ों में पैसे ले कर न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय द्वारा खुद के पत्नी के द्वारा किया जा रहा नौकरी को छुड़वा कर पत्नी के नाम पर सिंगरौली जिला में ही पेट्रोल पम्प भी खुलवा रहे हैं, जिससे स्पस्ट है कि न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय एक भ्रष्ट और बिके हुए न्यायाधिश है, जिनके सम्पति की जाँच किया जाकर उचित कार्यवाही किया जाना न्यायहित में होगा, जिससे मुझ फरियादी द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के लिए एक शिकायती परिवाद माननीय जिला न्यायलय वैढन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में दायर किया गया है, जिसकी छाया प्रति की काँपी उक्त शिकायती पत्र के साथ संलग्न हैं,

N.K. Gupta
18-05-17

(2)

अस्तु शिकायती पत्र पेश कर श्री मान जी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि उक्त मामला द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में दर्ज मामला क्र० WP-8239/2015, माननीय अधिनस्त न्यायलय में दर्ज मामला क्र० 621/16 और माननीय अपर जिला न्यायलय में दर्ज पुनर्बिचार मामला क्र० 500088/16 को दवाने व मुझ फरियादी को धमकी दिए जाने, माननीय न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, माननीय न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय व उनके परिवार की सम्पति की उच्चस्तरी जाँच कर उचित कार्यवाही करने की महान दया किया जाकर माननीय न्यायाधिश जी०एस० नेताम महोदय जैसे भ्रष्ट न्यायाधीश को सर्वसम्मानीय न्यायाधिश की कुर्शी से तुरंत हटाते हुए उचित कारवाही करने कि महान दया करे ।

दिनांक - 18-05-17

N.K. Gupta

फरियादी / शिकायतकर्ता

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता
नि०/ग्रा० बरगवां थाना बरगवां
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश
मो० नं० 7771822877

संलग्न :-

1 माननीय उच्च न्यायलय द्वारा जनहित मामला क्र० WP-8239/2015 में आदेश की छाया प्रति (3 पन्ने)
2 माननीय मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा अपराधिक मामला क्र० 612/16 में आदेश व नोटिस की छाया प्रति (5 पन्ने)
3 माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायलय द्वारा पुनर्बिचार क्र० 500088/16 में जारी किया गया नोटिस की छाया प्रति (3 पन्ने)
4 माननीय जिला न्यायलय एवं सत्र न्यायलय में मुझ फरियादी द्वारा पेश किया गया पुनर्बिचार याचिका की छाया प्रति (3 पन्ने)

प्रतिलिपि

1. **महामुहिम राष्ट्रपति महोदय**
   राष्ट्रपति भवन भारत,
   नई दिल्ली
2. **महामुहिम राज्यपाल महोदय**
   राजभवन रोशनपूरा भोपाल,
   मध्य प्रदेश
3. **श्री मान मुख्य न्यायाधीश महोदय**
   सर्वोच्च न्यायलय भारत,
   तिलक मार्ग नई दिल्ली,
4. **श्री मान रजिस्टार जनरल महोदय**
   सर्वोच्च न्यायालय भारत,
   तिलक मार्ग नई दिल्ली
5. **श्री मान मुख्य न्यायाधीश महोदय**
   उच्च न्यायलय जबलपुर
   जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

N.K. Gupta
18-05-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

18/5/17 18/5/17 Waidhan

समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय जिला व सत्र न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 67AA 830836

शपथ पत्र
=============

मै कि- नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता उम्र 32 वर्ष पता
ग्राम-बरगवा थाना बरगवाँ पो0 डगाँबरगवा तह0 देवसर
जिला सिंगरौली (म0प्र0) का हूँ :-----

1. यह कि मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ ।

2. यह कि मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे व्दारा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि मेरे स्वयं के जानकारी से लिखा पढ समझ कर अपने हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जा रहा है जो कि सही व सत्य है ।

3. यह कि मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि यह शिकायत पत्र अपने स्वस्थ बुद्धि तथा अपने मामले के पुनरावृति हेतु मेरे व्दारा लिखी कर शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिस पर कार्यवाही किया जाना शपथकर्ता के हीत व न्यायासंगत होगा जिसके लिए यह शपथ पत्र दे रहा हूँ ।

सत्यापन:- हस्ता- N.K. Gupta ------

मै शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का पैरा क्रं. 1ता 3 तक सही व सत्य है ।

हस्ता- N.K. Gupta ------

ATTESTED BY

Parasnath Shah Commissioner Dated C.S.N. 2008 Singrauli (M.P.) District Court Waidhan

PARAS NATH SHAH
Oath Commissioner
Waidhan, Distt-Singrauli (M.P.)
18/5/17

Sig of DEPONENT / EXECUTER